भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/56/2018 दिनांक: 14 अगस्त, 2018

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के आगामी विधान सभा निर्वाचनों के दौरान सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित की जाएं, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण को सुव्यवस्थित करने का निदेश दिया है।

आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2014 के अपने निदेश पुन: दोहराए हैं जिसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को निदेश दिया गया है कि वे बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पावती के अधीन इस अनुसूची की एक प्रति सभी राजनीतिक दलों, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए), यदि उन्हें नियुक्त किया गया है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को दी जाएगी।

आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त अनुसूची अग्रिम रूप से दी जाएगी और सभी बीएलओ द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

(पवन दीवान)
अवर सचिव